

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़  
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

सं. 116/2012

पीसीएमएस : 2012/00189

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर पैरोकार राज।

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र श्री रोशनलाल जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर।
2. मिठू सिंह पुत्र श्री जगसिंह जाति तरखान साकिन रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 30.07.2012

उपस्थितअधिवक्तागण

1. राजपैरोकार सरकार।
2. श्री अजय तनेजा अधि. प्रति.सं. 1,2

—: निर्णय :-

दिनांक : 20.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक चक 22 पीएस का मु.नं. 34 पं.नं. 201/289 कि.नं. 1/2 में 0.020 है., 2/2 में 0.233 है., 3 से 5 में 0.251 है., 6/1 में 0.056 है., 7/1 में 0.056 है., 8/1 में 0.056 है., 9/1 में 0.056 है., 10/2 में 0.031 है. कुल 1.266 है. नहरी 1.154 है., बारानी 0.112 है. राजेश कुमार वल्द रोशनलाल जाति अग्रवाल साकिन 1/2 हिस्सा मिठूसिंह वल्द जगसिंह कौम तरखान साकिन देह 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज है व मु.नं. 34 कि.नं. 1/1 में 0.208 है., 2/1 में 0.020 है., 10/1 में 0.025 है. कुल 0.253 है. राजेश कुमार वल्द रोशनलाल जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर के संबंध में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चौसला में संवत् 2065-2068 में खातेदार दर्ज है जिसका वाद न्यायालय में पेश किया जा चुका रिपोर्ट पटवारी हल्का 22 पीएसए के अनुसार इस रकबा में अप्रार्थीगण 1 व 2 के द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये एवं नगर नियोजक विभाग की अनुमति के बिना कॉलोनी काटकर अवैध रूप से प्लाटों का विक्रय किया है और किया जा रहा है जिसमें से अधिकांश प्लाटों का विक्रय किया जा चुका है कि खातेदारों द्वारा उक्त भूमि की पानी की बारी का अन्य रकबा में उपयोग किया जा रहा है जबकि यह रकबा कॉलोनी हेतु प्लाट काटकर विक्रय किया जा चुका है जिसमें वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं हो रही है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि पर बिना बैद्य स्वीकृति व रूपान्तरण राशि जमा करवाये अवैध रूप से कॉलोनी काटकर अतिचार किया जा रहा है। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो राज्य पक्ष अपूर्णय क्षति होगी। बिना किसी प्लान के अवैध कॉलोनिया का निर्माण हो जाएगा। जो आगामी विकास में बाधा बनेगी। वाद पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। वाद अन्दर मियाद है। वाद राज्य हित में होने के कारण कोर्ट फीस शुल्क से मुक्त है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज फरमाये जायेगे। अप्रार्थीगण संख्या 1 के द्वारा उपरोक्त भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण करवाये आवासी प्लाट काटकर विक्रय कर अतिचार किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि के बिना भूमि रूपान्तरण करवाये प्लाट काटकर विक्रय किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 177 की दण्डनीय होने के कारण भूमि पर अतिचार व अवैध कॉलोनी निर्माण हो रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(2) के तहत रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित होगा। अतः वाद दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रकबा को रकबा राज घोषित किया जाकर बहक सरकार लिये जाने के आदेश प्रदान किये।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1-2 की तरफ से श्री अजय तनेजा अधिवक्ता ने



उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

वकालतनामा पेश किया। जो शामिल किया गया। प्रतिवादी सं. 1-2 की तरफ से जवाब दावा में अंकित है। कि वादी का दावा निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है इसलिए वादी का दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे। अतिरिक्त कथन में अंकित है कि काश्तकारी अधिनियम में छोटे टुकड़ों को बेचान करने पर रोक नहीं है, अगर कोई कृषि भूमि का छोटा टुकड़ा बेचान किया है तो धारा 90 ए के तहत नियमन योग्य हैं। प्रतिवादीगण के नाम विवादित भूमि मौका पर खाली पड़ी है। उसमें कोई निर्माण नहीं किया हुआ है तथा इस भूमि का पानी सिंचाई हेतु सिंचाई विभाग द्वारा इसी भूमि में बाध कर पर्ची जारी की गई है। कृषि भूमि नगरपालिका (पैराफैरी) ऐरिया से बाहर है काश्तकार द्वारा भूमि की सुरक्षा हेतु अगर एक कोटा या चार दीवारी की जाती है तो भी विधि प्रावधानों अनुसार सही है जो भूमि में सुधार हेतु किया जा सकता है। वादी द्वारा वाद-पत्र गलत आधार पर विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है, वादी द्वारा वाद-पत्र के शीषक में राजस्थान सरकार द्वारा वाद-पत्र प्रस्तुत करना दिखाया है जो विधि अनुसार सही नहीं है इसलिए विधि अनुरूप वादी का वाद-पत्र इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद-पत्र गलत व निराधार होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. हम विधिक तनकीयात कायम कर निर्णय करना उचित समझते हैं निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि विवादित भूमि चक चक 22 पीएस के मु.नं. 34 पं.नं. 201/289 के कि.नं. 1/2 में 0.020 है., 2/2 में 0.233, 3 से 5 में 0.251 है., 6/1 में 0.055 है., 7/1 में 0.056, 8/1 में 0.056, 9/1 में 0.056, 10/2 में 0.031, कुल 1.266 है., नहरी 1.154 है., बारानी 0.112 है., प्रतिवादीगण बतौर 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज है व मु.नं. 34 कि.नं. 1/1 में 0.208, 2/1 में 2/1 में 0.020, 10/1 में 0.025 है., कुल 0.253 है., प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि है। --:राजपैरोकार

2. आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लॉटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है। --:राजपैरोकार

3. आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है। --:राजपैरोकार

4. आया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध बिनाय दावा बिनाय मुख्यास्मत करने का अधिकारी नहीं है। --:प्रतिवादी

5. आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है। --: प्रतिवादी

6. अनुतोष।

4. साक्ष्य वादी में सरकार की तरफ से राजपैरोकार का कथन है कि दावा पत्र व पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ही साक्ष्य माने जावे। सरकार की तरफ से अन्य कोई साक्ष्य वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गये। अतः साक्ष्यवादी बन्द किया गया।

5. प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके दिये गये परन्तु प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाते हैं।

6. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते हैं जो निम्नानुसार है:-

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

तनकी संख्या (I) आया कि विवादित भूमि चक 22 पीएस के मु.नं. 34 पं.नं. 201/289 के कि.नं. 1/2 में 0.020 है., 2/2 में 0.233, 3 से 5 में 0.251 है., 6/1 में 0.055 है., 7/1 में 0.056, 8/1 में 0.056, 9/1 में 0.056, 10/2 में 0.031, कुल 1.266 है., नहरी 1.154 है., बारानी 0.112 है., प्रतिवादीगण बतौर 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज है व मु.नं. 34 कि.नं. 1/1 में 0.208, 2/1 में 0.020, 10/1 में 0.025 है., कुल 0.253 है., प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि है।

—:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/जमाबन्दी के अनुसार चक 22 पीएस के मु.नं. 34 पं.नं. 201/289 के कि.नं. 1/2 में 0.020 है., 2/2 में 0.233, 3 से 5 में 0.251 है., 6/1 में 0.055 है., 7/1 में 0.056, 8/1 में 0.056, 9/1 में 0.056, 10/2 में 0.031, कुल 1.266 है., नहरी 1.154 है., बारानी 0.112 है., प्रतिवादीगण राजेश कुमार पुत्र रोशनलाल जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर - मिठूसिंह पुत्र जगसिंह जाति तरखान के नाम 1/2 हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व मु.नं. 34 कि.नं. 1/1 में 0.208, 2/1 में 0.020, 10/1 में 0.025 है., कुल 0.253 है., प्रतिवादी सं. 1 राजेश कुमार पुत्र रोशनलाल जाति अग्रवाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस तनकी को प्रमाणित करने में वादी सफल रहे है अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लॉटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है।

—:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के अनुसार प्रतिवादी द्वारा बिना भूमि को रूपान्तरित करवाये व बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। अवैध रूप से प्लॉट काटकर विक्रय किया जा रहा है। जिनके बैयनामा पंजीकृत करवाये है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्ण्य क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है।

—:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/प्रार्थी/राजपैरोकार पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/शपथ पत्र/पटवार हल्का रिपोर्ट आदि से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना भू-रूपान्तरण करवाये प्लॉटों के रूप में वर्गीकृत कर विक्रय किया जा रहा है। संपरिवर्तन नहीं करवाने से संपरिवर्तन शुल्क राजकोष में जमा नहीं हुआ है। इससे राज्य सरकार को आर्थिक/राजस्व हानि हुई है। यह तनकी बहक प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत करने का अधिकारी नहीं है।

—:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित हो कि कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण किये अकृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाना बैध है जमाबंदी विवादित भूमि वाके चक 22 पीएस के मु.नं. 34 पं.नं. 201/289 के कि. नं. 1/2 में 0.020 है., 2/2 में 0.233, 3 से 5 में 0.251 है., 6/1 में 0.055 है., 7/1 में 0.056, 8/1 में 0.056, 9/1 में 0.056, 10/2 में 0.031, कुल 1.266 है., नहरी 1.154 है., बारानी 0.112 है., प्रतिवादीगण राजेश कुमार पुत्र रोशनलाल जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर-मिठूसिंह पुत्र जगसिंह जाति तरखान के नाम 1/2 हिस्सा अनुसार जरिये बैयनामा नामान्तरण संख्या 285 दिनांक 05.01.2012 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व मु.नं. 34 कि.नं. 1/1 में 0.208, 2/1 में 0.020, 10/1 में 0.025 है., कुल 0.253 है., प्रतिवादी सं. 1 राजेश कुमार पुत्र



रोशनलाल जाति अग्रवाल के नाम बैयनामा नामान्तरण सं. 287 दिनांक 05.03.2012 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है। तथा कृषि भूमि को अकृषि में रूपान्तरण करवाये आवासीय भूमि में प्रयोग में लिया जा रहा है। राज.काश्त. अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि का आवासीय भूमि के रूप में प्रयोग करना अवैध है तथा राज्य सरकार को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यही बिनाय दावा व बिनाय मुखारमत हारित है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहे है अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध तथा वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकी संख्या (E) आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज / साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससे यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त भूमि का नियमन हो चुका है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (F) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1-5 बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार तनकीयात को सिद्ध करने में सफल रहे है। खातेदार/प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये/ बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के छोटे-छोटे भूखण्डों /प्लाटों के रूप में विक्रय किया जा रहा है यह कृषि भूमि के लिए अहितकर है तथा जिस प्रयोजन के लिए भूमि खातेदार को दी गई थी उस प्रयोजन के विपरीत है तथा राज. काश्तकारी अधि. 1955 व भूराजस्व अधि. 1956 की धारा 90ए के प्रवधानों का उल्लंघन किया गया है तथा राज्य सरकार की नीतियों का सरासर उल्लंघन है। अतः उपर्युक्त वादग्रस्त रकबा वाके चक 22 पीएस के मु.नं. 34 पं.नं. 201/289 के कि.नं. 1/2 में 0.020 है., 2/2 में 0.233, 3 से 5 में 0.251 है., 6/1 में 0.055 है., 7/1 में 0.056, 8/1 में 0.056, 9/1 में 0.056, 10/2 में .031, कुल 1.266 है., नहरी 1.154 है., बारानी 0.112 है., मु.नं. 34 कि.नं. 1/1 में 0.208, 2/1 में 0.020, 10/1 में 0.025 है., कुल 0.253 है., नहरी भूमि को रकबाराज घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस.)}

सहायक उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे  
ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस.)}

सहायक उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ



डिक्री व मुकदमें इत्दाई  
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता : दीवानी)  
**CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1**  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर  
बईजलास : सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 116/2012

सी.एस. : 2012/00189

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर पैरोकार राजं।

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र श्री रोशनलाल जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर तहसील  
रायसिंहनगर।

2. मिटू सिंह पुत्र श्री जगसिंह जाति तरखान साकिन रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 30.07.2012

उपस्थित अधिवक्तागण

3. राजपैरोकार सरकार।


4. श्री अजय तनेजा अधि. प्रति.सं. 1,2

—: निर्णय :-

दिनांक : 20.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरुबरु हमारे बहाजरी राजपैरोकार, श्री अजय तनेजा अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिय जाता है एवं डिक्री की जाती है वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। उक्त वाद में राज. काश्तकारी अधि. 1956 व भू. राजस्व अधि. 1956 की धारा 90 ए के प्रवधानों का उल्लंघन किया गया है तथा राज्य सरकार की नीतियों का सरासर उल्लंघन है। अतः उपयुक्त वाद ग्रस्त रकबा चक 22 पीएस के मु.नं. 34 पं.नं. 201/289 के कि.नं. 1/2 में 0.020 है., 2/2 में 0.233, 3 से 5 में 0.251 है., 6/1 में 0.055 है., 7/1 में 0.056, 8/1 में 0.056, 9/1 में 0.056, 10/2 में .031, कुल 1.266 है., नहरी 1.154 है., बारानी 0.112 है., मु.नं. 34 कि.नं. 1/1 में 0.208, 2/1 में 0.020, 10/1 में 0.025 है., कुल 0.253 है., नहरी भूमि को रकबाराज घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

डिक्री आज दिनांक 20.06.2025 को जारी की गई।


  
(सुभाष चन्द्र)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
दिनांक: 31/7/25

क्रमांक: रीडर/2025/930

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित है।



  
(सुभाष चन्द्र)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
आर.ए.एस.